मुद्रक - आरती प्रिन्टिंग प्रेस सिकराय

फर्द अहकाम

(नियम (26)

अज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी ..... सिकराय .....

सरकार बनाम ..... रामनिवास आदि ....

किस्म मुकदमा ..... राजस्व .....मु० नं०.....1116.....

प्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकारों के बीच विवाद नहीं व कोई दावा न होने से कोई भी आदेश नहीं। बार-बार अवसर देकर समय दिया गया। लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं। अतः राजस्व रिकार्ड में दर्ज दावेदारों के नाम पंजी में दर्ज किया जाने हेतु तहसीलदार सीकर को पत्र लिख दी जावे। 31/4/19 उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला-सीकर	

Scanned by CamScanner